आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म (भाग–2)

परमिट संख्या– 1165/बी.एस.एस./10/12–13

दिनांक 13-3-15

सेवा में,

श्री गौतम राजा,
पुत्र श्री लालित मोहन राजा,
निवासी–45 महात्मा गांधी मार्ग, आगरा।

भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें –
निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

(क) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार अर्ह स्टक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजायन के अनुसार ही होगा।

(ख) निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। साथ ही सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।

(ग) भवन निर्माण की पर्यवेक्षण हेतु एक रजिस्टर्ड सिविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अवश्य नियुक्त किया जायेगा। पर्यवेक्षण में यह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्टक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएं करने के जो डिजाइन अनुमोदित की गई है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(घ) भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईंट कोल सैन्ड एवं गार्डर तथा सानीटरी विल्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की निर्धारित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यालय पर ही उपलब्ध रहें ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।

(ङ) निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक सक्षम एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। जोन/आवासीय द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(च) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन निर्माणकर्ता व उसके सहायक विभिन्न सिविलता की धारा में आ जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(छ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट × 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का, आर्किटेक्ट, स्टक्चरल इंजीनियर सहित डिजायन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे।

(1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

(2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियां।

(3) अधिकृत स्टक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपर स्टक्चरल की गणनाएं एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्टक्चरल डिटेल।

(4) अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त बाडिंग डिजायन जिसमें सेकशन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल होंगे।

(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त सी० एण्ड सी० का विवरण।

(6) लेबर इन्जीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

(ज) मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा पी०डब्लयू०डी०, नगर निगम, मजूरा एवं अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

(झ) पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मद में जमा कराई गयी धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र

भवदीय

मुख्य नगर नियोजक

संख्या..... तद्दिनांक

प्रतिलिपि–

1. कर निदेशक अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०..... दिनांक..... के सन्दर्भ में कार्यालय के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।

मुख्य नगर नियोजक